उत्तरांचल शासन

मुख्यमंत्री

श्री नारायण दत्त तिवारी

का

वित्तीय वर्ष 2002—2003 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

मा0 अध्यक्ष महोदय,

मैं, आपकी अनुमति से इस परम सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2002–2003 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

यह मेरा सौभाग्य है कि उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित सरकार का प्रथम बजट प्रस्तुत करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इस वर्ष का बजट दसवीं पंचवर्षीय योजना काल का पहला बजट है और हमारे राज्य की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में यह बजट एक मार्गदर्शक होना चाहिए। प्रदेश के विकास के लिए हमारी सरकार की रणनीति एवं प्राथमिकताएँ पूर्व ही महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट की जा चुकी हैं। अतः मैं इन्हें विस्तार से नहीं दोहराउँगा।

अवस्थापना सुविधाओं का विकासः

मान्यवर,

राज्य के विकास के लिए मौलिक आर्थिक अवस्थापना सुविधाओं, यथा ऊर्जा, सड़क एवं सेतु,

सिंचाई, जलापूर्ति व जलोत्सारण सुविधायें तथा, आज के बदलते परिवेश में सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक है। अतः इन क्षेत्रों के विकास को हमने इस वर्ष के आय–व्ययक में विशेष प्राथमिकता दी है।

ऊर्जाः

हमने दसवीं पंचवर्षीय योजना काल में राज्य सेक्टर तथा केन्द्र सरकार के संस्थानों आदि के सहयोग से 3000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के सृजन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मैने स्वयं सभी सम्बन्धित विभागों एवं संस्थाओं के साथ विस्तृत समीक्षा की है, और उन परियोजनाओं को भी चिन्हित किया गया है जिनके माध्यम से इस लक्ष्य की पूर्ति प्रस्तावित है। मनेरीभाली द्वितीय चरण की योजना के लिए रू0 800 करोड़ का ऋण पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। निकट भविष्य में इस पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। केन्द्र सेक्टर में निर्माणाधीन योजनाओं के सम्बन्ध में भी केन्द्र सरकार से तालमेल कर यह प्रयास है कि इन

योजनाओं को समय से पूर्ण किया जा सके। इसी क्रम में टिहरी परियोजना का विशेष महत्व है। राष्ट्रीय महत्व के अतिरिक्त इससे हमें प्राप्त होने वाली निःशुल्क ऊर्जा राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत के रूप में होगी। अतः इसके समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए हम कृतसंकल्प हैं, और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सतत् प्रयासों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा टिहरी बाँध विस्थापितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में भेजे गये प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

मुझे यह बताते हुए खुशी है कि राज्य के हर भाग में 24 घण्टे बिजली आपूर्ति के हमारे लक्ष्य की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सूक्ष्म अनुश्रवण एवं समीक्षा के फलस्वरूप राज्य की वर्तमान स्थापित क्षमता के उपयोग में भी वृद्धि हुई है, और हम केन्द्रीय पूल से भी अपने हिस्से की बिजली आवंटित कराने में सफल हुए हैं। राज्य के विभिन्न भागों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता तथा वोल्टेज में सुधार के लिए कई क्षेत्रों में ट्रान्सफार्मरों एवं लाईनों की क्षमता में वृद्धि की गई है, और हाल ही में लम्बे समय से अपूर्ण सी.बी. गंज– हल्द्वानी 220 के.वी.

लाईन एवं सब–स्टेशन का कार्य पूरा कर उसे ऊर्जीकृत कर दिया गया है। इसी उद्देश्य से केन्द्र सरकार की त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार योजना (ए0पी0डी0आर0पी0) के अन्तर्गत भी सहायता प्राप्त की जा रही है।

वर्तमान वर्ष में जलविद्युत उत्पादन के लिए लगभग रू0 70.70 करोड़ की व्यवस्था अंशपूँजी तथा ऋण के रूप में की जा रही है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड से भी रू0 54 करोड़ के ऋण की स्वीकृति प्राप्त की गयी है। पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए रू0 54 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए लगभग रू0 18 करोड़ की व्यवस्था की गयी है जो प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लगभग रू0 20 करोड़ की धनराशि के अतिरिक्त है। नई योजनाओं के अन्वेषण एवं सर्वे के लिए भी रू0 80 लाख की व्यवस्था की गयी है।

इस वर्ष लगभग 300 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा। कई वर्षों से बन्द पड़ी कुटीर ज्योति योजना को भी इस वर्ष भारत सरकार से सहायता प्राप्त कर चलाने

की योजना है। इसी तरह निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु भी रू0 3.25 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

राज्य में विद्युत नियामक आयोग की स्थापना निकट भविष्य में कर दी जायेगी। इससे जहाँ दरों के युक्तिकरण तथा पूरी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी, वहीं उत्तर प्रदेश के साथ आस्तियों एवं दायित्वों के अन्तिम विभाजन में भी गति आयेगी। इस हेतु बजट में रू0 39.91 लाख की व्यवस्था है।

दूरस्थ ग्रामों में जहाँ पारेषण प्रणाली नहीं पहुँच सकती है, बैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु विशेष बल दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा, घरेलू बत्ती तथा लालटेन के साथ–साथ बायोगैस सर्वे, नगरीय कूड़े से ऊर्जा उत्पादन, देहरादून में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना, वायु ऊर्जा के लिए सर्वे तथा प्रदर्शन योजना की स्थापना, सोलर पावर फैंसिंग व सुधारित घराट आदि योजनाएँ प्रस्तावित हैं । सौर ऊर्जा कार्यक्रमों हेतु लगभग रू0 8.78 करोड़ तथा लघु जल विद्युत एवं घराट कार्यक्रम हेतु लगभग रू0 11.50 करोड़ सहित कुल रू0 22.12 करोड़

की व्यवस्था की गयी है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से 168 ग्रामों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य इस वर्ष रखा गया है।

सड़क तथा सेतुः

राज्य में मार्ग श्रृंखला के आवश्यक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से, प्रत्येक जनपद के लिए सड़क मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि राज्य के लगभग 6000 ग्राम जो अभी तक मोटर मार्गों से जुड़ने शेष हैं, को अधिक से अधिक संख्या में मार्गों से जोड़ा जा सके तथा विभिन्न गन्तव्यों को जोड़ने वाले मार्गों को मानकों के आधार पर नियोजित ढ़ंग से सुदृढ़ एवं उच्चीकृत किया जा सके।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा, तथा गुणवत्ता शोध और विश्लेषण एवं स्थल निरीक्षण के लिए आई.आई.टी. रूड़की, भूतल परिवहन विभाग तथा वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी आदि के सहयोग से कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन तथा मार्ग निर्माण की विशिष्टियों एवं मानकों के पुनरीक्षण

की दिशा में भी कार्यवाही की जा रही है और इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग मार्गदर्शक सिद्धान्तों तथा अन्य प्रगतिशील राज्यों द्वारा अपनायी जा रही विशिष्टियों एवं मानकों का अध्ययन भी किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण सामग्रियों की सेम्पल जाँच भी की जायेगी, तथा कार्यों में गुणवत्ता एवं जवाब देही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निविदा प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निर्माण संस्थाओं की कार्य क्षमता बढ़ाने तथा गुणवत्ता के सन्दर्भ में उन्हें और सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण एवं ऋण की व्यवस्था की जायेगी।

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नये निर्माण कार्यों के लिए रू0 10 करोड़ तथा नाबार्ड पोषित अवस्थापना विकास योजना के अन्तर्गत रू0 50 करोड़ की व्यवस्था नई मांगों से की गई है। सड़क एवं पुलों के अनुरक्षण हेतु लगभग रू0 47.46 करोड़ की व्यवस्था है। पुलों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए भी रू0 15 करोड़ की व्यवस्था है। वर्ष 2001–2002 के पुनरीक्षित अनुमान लगभग रू0 180 करोड़ की तुलना में इस वर्ष लोक

निर्माण के योजना कार्यों के अन्तर्गत लगभग रू0 269 करोड़ की व्यवस्था की गई है जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि के अतिरिक्त है।

राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत, मुख्य मार्गों पर अत्यधिक भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों (क्रोनिक स्लिप जोन) में स्थायी उपचार के लिए रू0 5 करोड़ तथा बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण हेतु रू0 4 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

राज्य के बजट तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं यथा केन्द्रीय सड़क निधि, अन्तर्राज्यीय संयोजन (इण्टरस्टेट कनेक्टिविटी) योजना तथा आर्थिक महत्व के मार्ग योजना, राष्ट्रीय राजमार्गों की योजनाओं के अन्तर्गत भी अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने के प्रयास किये जाऐंगे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:

ग्रामीण मार्गों तथा जिला मार्गों के निर्माण हेतु इस योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को सर्वमौसमी मार्गों से जोड़ा जायेगा। वर्ष 2002–2003 हेतु इस योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 66.12 करोड़ भारत सरकार से सीधे प्राप्त होने का अनुमान है। राज्यांश के रूप में भूमि अर्जन आदि कार्यों के लिये रू0 5.50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:

उत्तरांचल में वृहद एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं के निर्माण की अधिक सम्भावना नहीं है। तराई तथा भावर में नहरों एवं नलकूपों से मुख्यतः सिंचाई की जाती है, जब कि पर्वतीय क्षेत्र में छोटी नहरों, गूलों तथा लघु डाल नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था में विद्यमान विभिन्न प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत एक विस्तृत अध्ययन जल एवं ऊर्जा सलाहकार संस्थान

(वैपकोस) के माध्यम से कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि विभिन्न कृषि पर्यावरणीय क्षेत्र (एग्रो क्लाइमेटिक जोन) के अनुसार उपयुक्त एवं सुरक्षित सिंचाई व्यवस्था किये जाने, एवं वर्तमान में स्थापित योजनाओं के पूर्ण उपयोग के लिए नियोजित कार्यवाही की जा सके।

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए आयोजनागत मद में सिंचाई व लघु सिंचाई विभाग हेतु रू0 57.95 करोड़ एवं आयोजनेत्तर मद में रू0 138.17 करोड़ का प्राविधान है। इस वित्तीय वर्ष में प्रथम बार भारत सरकार से सहायतित त्वरित सिंचाई लाभ योजना (ए.आई.बी.पी.) के अन्तर्गत भी रू0 7.50 करोड़ की सहायता लेने का प्रस्ताव है।

सिंचाई विभाग द्वारा ही अब कमाण्ड क्षेत्र विकास योजना का कार्य भी देखा जा रहा है। अतः इस मद में रू0 3 करोड़ जनपद ऊधम सिंह नगर में तुमरिया जलाशय, देहरादून में नथुवावाला, बालावाला एवं जाटोवाला नहर तथा जनपद रूद्रप्रयाग में लस्तर कैनाल के पुनरोद्धार कार्यों हेतु प्रस्तावित है।

★ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास योजना के अन्तर्गत रू0 2 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

जलापूर्ति एवं जलोत्सारणः

जहाँ तक पेयजल का प्रश्न है, उत्तरांचल की विषम भौगोलिक परििस्थितियों के कारण राज्य के सभी ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना एक चुनौती भरा कार्य है। प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है, तथा इस कार्य हेतु सरकार दृढ़संकल्प है। पेयजल योजनाओं का निर्माण एवं उनके पुनर्गठन, अनुरक्षण एवं संचालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए सम्बन्धित संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने तथा जलापूर्ति की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से संस्थागत व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन लाने पर विचार किया जा रहा है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 31008 बस्तियों में से कुल 107 असेवित तथा 908 आंशिक सेवित बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना शेष है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के

अनुसार मार्च,2004 तक सभी बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। चालू वित्तीय वर्ष में 77 असेवित व 502 आंशिक सेवित बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 145 योजनाओं का पुनर्गठन तथा 702 आंशिक रूप से बन्द एवं 245 बन्द योजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य भी प्रस्तावित है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के अतिरिक्त कतिपय पर्वतीय क्षेत्रों में भी हैण्ड पम्पों की सफलता को देखते हुए, हैण्ड पम्पों की स्थापना प्रोत्साहित की जायेगी। इस वर्ष ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग रू0 131 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के समस्त नगरों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है, किन्तु 23 नगरों में मानक से कम पेयजल उपलब्ध हो पा रहा है, जिनमें मानकानुसार पेयजल सुविधा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार जलोत्सारण व्यवस्था अभी तक मात्र 20 नगरों में ही आंशिक रूप से उपलब्ध हो सकी है। इसमें भी चरणबद्ध ढंग से सुदृढीकरण एवं विस्तार के कार्य प्रस्तावित हैं। शहरी जलापूर्ति एवं जलोत्सारण

योजनाओं के लिए लगभग रू0 48.39 करोड़ की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत रू0 4 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

स्वजल परियोजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में से अवशेष 92 पेयजल योजनाओं का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना में निर्मित योजनाओं को प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कराया जाना भी प्रस्तावित है। द्वितीय चरण के रूप में 2500 नये ग्रामों में स्वजल परियोजना प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव भी भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल राज्य के हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर रिफार्म पायलेट प्रोजेक्ट की रू0 40 करोड़ की अभिनव योजना वर्ष 2001–2002 में स्वीकृत की गई थी, जिस पर कार्य चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया गया है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकीः

वर्तमान युग में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील एवं विकास खण्ड मुख्यालय के अतिरिक्त 1000 से ऊपर की आबादी के प्रत्येक गाँव को इन्टरनेट से जोड़ना प्रस्तावित है। इस हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में वी–सैट, एवं अन्य क्षेत्रों में आप्टीकल फाइबर केबिल व वायरलैस तकनीक का प्रयोग किया जायेगा। इस योजना के प्रथम चरण में विकास खण्ड स्तर तक सामुदायिक सूचना केन्द्र बनाये जायेंगे, जिस हेतु वर्तमान बजट में रू0 34.52 करोड़ का प्राविधान है।

देहरादून में साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क्स इण्डिया (एस0टी0पी0आई0) द्वारा "अर्थ स्टेशन" की स्थापना की जा चुकी है। इसी प्रकार की सुविधा इस वर्ष रूड़की में भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए बजट में रू0 1.0 करोड़ का प्राविधान है।

कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश ने दूरगामी योजनायें बनाई हैं जिनमें इण्टर कालेज व डिग्रीकालेजों

में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इण्टर कालेजों के लिए "इनटेल" संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित हो चुका है जिसमें "इनटेल" द्वारा इण्टर कालेज शिक्षकों को कम्प्यूटर के प्रयोग में निःशुल्क प्रशिक्षित किया जायेगा। नेटवर्किंग शिक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की एक अन्य प्रमुख संस्था "सिस्कों" से समझौता ज्ञापन प्रस्तावित है, जिसमें वह उच्च शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों को निःशुल्क प्रशिक्षित करेंगे ताकि वह छात्रों को कम्प्यूटर नेटवर्किंग शिक्षा प्रदान कर सकें। नेटवर्किंग अकादमी स्थापित करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में रू0 75 लाख का प्राविधान है।

राज्य सरकार के क्रिया–कलापों को जनसामान्य हेतु सुलभ कराने में भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाना प्रस्तावित है। ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इसके लिए आवश्यक होगा कि जनसामान्य की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप साफ्टवेयर विकसित कराया जाय। इसके लिए

आई.आई.टी. रूड़की से समझौता ज्ञापन हो चुका है, और इस हेतु रू0 5 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गई है।

सरकारी कार्यों में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि की जा रही है। सचिवालय में अनुभाग स्तर तक कम्प्यूटर उपलब्ध कराने तथा सचिवालय की नेटवर्किंग किये जाने का प्रस्ताव है। सचिवालय के अतिरिक्त अन्य विभागों में भी उत्तरोत्तर कम्प्यूटरीकरण किये जाने का प्रस्ताव है ताकि विभागों के कार्यों में अधिक गुणवत्ता, दक्षता और जवाबदेही आ सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रयोजनों यथा स्टाम्प एवं पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेन्स एवं वाहन पंजीयन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्डों आदि, में भी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रस्तावित है।

चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्यः

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि सामान्य सूचकांकों को देखा जाय तो उत्तरांचल राज्य की स्थिति

राष्ट्र में तुलनात्मक रूप से सन्तोषजनक प्रतीत होती है, लेकिन यदि गहराई में जायँ तो इसमें कांफी क्षेत्रीय अन्तर विद्यमान हैं तथा कई बिन्दुओं जैसे– सम्पूर्ण शिशु प्रतिरक्षण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, सुरक्षित प्रसव, जन स्वास्थ्य संस्थाओं के उपयोग आदि में सुधार की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य नीति गठित की जा रही है। इस दिशा में दो बड़ी कार्यशालायें आयोजित की जा चुकी हैं और निकट भविष्य में गैर सरकारी संगठनों तथा जन प्रतिनिधियों से भी परामर्श के उपरान्त हम नीति को अन्तिम रूप दे देंगे। उत्तरांचल एक समेकित स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति गठित करने वाला पहला राज्य होगा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 13 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं 10 के भवन निर्माण के अतिरिक्त तहसील स्तरीय चिकित्सालयों को चरणबद्ध तरीके से उच्चीकृत किये जाने का लक्ष्य है।

कठिन पहुंच एवं दूर–दराज वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार की सहायता

से अतिरिक्त ए0एन0एम0 की नियुक्तियां संविदा पर की जा चुकी हैं।

इस वर्ष 03 नये जनपदों में जिला चिकित्सालय भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने व देहरादून, हरिद्वार तथा पिथौरागढ़ के चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही विभिन्न स्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञ सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए निम्न प्रस्ताव हैं–

- 05 जनपदों हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, बागेश्वर तथा रुद्रप्रयाग में टी0बी0 क्लीनिक की स्थापना।
- हल्द्वानी, रुड़की व श्रीनगर में ब्लड बैंक की स्थापना एवं कोटद्वार में ब्लड बैंक हेतु भवन निर्माण।
- ऋषिकेश काशीपुर तथा रुड़की में शव–विच्छेदन गृहों का निर्माण।
- दून चिकित्सालय, देहरादून एवं बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा में ट्रोमा यूनिट की स्थापना।

- दून चिकित्सालय, देहरादून व वन ट्रस्ट चिकित्सालय हल्द्वानी में अंकोलोजी यूनिट की स्थापना।
- ऊधमसिंह नगर में राज्य स्तरीय ड्रग प्रयोगशाला का निर्माण।
- पटवाडांगर नैनीताल में राज्य स्तरीय फूड लैब का निर्माण।
- 26 बड़े चिकित्सालयों में जैविकी निष्प्रयोज्य प्रबंधन (बायो–मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट) की व्यवस्था।
- मानसिक रोगियों हेतु राज्य में मानसिक रोग चिकित्सालय की स्थापना।
- सम्भागीय प्रशिक्षण केन्द्र हल्द्वानी का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र के रुप में उच्चीकरण।

विश्व बैंक की सहायता से 35 बड़े चिकित्सालयों का नवीनीकरण एवं 50 रोगी वाहनों की व्यवस्था भी की जा रही है।

वन ट्रस्ट चिकित्सालय, हल्द्वानी जनपद नैनीताल में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए कार्यवाही की जा रही है। श्रीनगर में भी एक मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु इस वर्ष प्रारम्भिक व्यय हेतु रू0 1.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। आई0टी0 आधारित आधुनिक चिकित्सा सुविधा हेतु विभिन्न चिकित्सालयों को टेली मेडिसिन पद्धति से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

चिकित्सा विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु लगभग रू0 259.68 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्साः

उत्तरांचल राज्य में जन–जन को सस्ती एवं सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुर्वेद एवं यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में प्रभावी सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु चिकित्साधिकारियों एवं फार्मासिस्टों के आवश्यक पदों का सृजन किया जा रहा है। विभिन्न स्तरों पर आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक

- चिकित्सा से सम्बन्धित कार्यालयों एवं अधिष्ठानों के सुदृढ़ीकरण का भी प्रस्ताव है।

हरिद्वार में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इस वित्तीय वर्ष में रु0 1.00 करोड़ की प्रारम्भिक व्यवस्था की गई है।

शिक्षाः

यह हर्ष का विषय है कि जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर उत्तरांचल में साक्षरता का प्रतिशत 72.21 है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

प्राथमिक शिक्षा:

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये गये हैं। 'स्कूल चलो' अभियान के माध्यम से बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरित किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। परिषदीय एवं राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य

पुस्तकों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की एक पायलट परियोजना प्रारम्भ की गयी थी। अब इसके विस्तारीकरण के लिए नयी मांग से रुपये 20 करोड़ की व्यवस्था है।

विश्व बैंक पोषित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 4.22 करोड़ तथा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत रु0 23 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

माध्यमिक शिक्षाः

कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम के विस्तारीकरण हेतु रु0 6.6 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना हेतु लगभग रु0 3.83 करोड़ की व्यवस्था है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु लगभग रु0 9.50 करोड़ तथा संस्कृत विद्यालयों को अनुदान हेतु रु0 1.96 करोड़ की व्यवस्था है।

उत्तरांचल स्थित सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 67 प्रतिशत स्थान उत्तरांचल के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित कर

दिये गये हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय. इंडियन मिलिट्री कालेज, देहरादून में उत्तरांचल के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय योजना के अन्तर्गत राज्य के 7 जनपदों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु रुपये 1 करोड़ की व्यवस्था नयी मांगों से की गई है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में एक आदर्श राजीव गाँधी राज्य नवोदय विद्यालय की स्थापना की जायेगी जिसकी रूप–रेखा तैयार की जा रही है।

उच्च शिक्षा:

प्रदेश के महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षकों के पद सृजन, भवन निर्माण तथा अस्थाई सम्बद्धता का विस्तारीकरण चरणबद्ध रुप से किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालयों के लिए भूमि तथा भवन निर्माण हेतु रुपये 5 करोड़ की व्यवस्था है। प्रत्येक जनपद में एक महाविद्यालय को उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रदेश के

महाविद्यालयों में वृत्तिमूलक, रोजगारपरक विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की योजना है।

तकनीकी शिक्षा:

राज्य में 15 राजकीय पॉलीटेक्निक तथा एक सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक है। इन पॉलीटेक्निकों के पाठ्यक्रमों में आधुनिकीकरण तथा विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

तकनीकी शिक्षण संस्थानों तथा औद्योगिक आवश्यकताओं के मध्य समन्वय स्थापित किया जायेगा ताकि तकनीकी शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जा सके।

प्रदेश में स्थित इंजीनियरिंग कालेजों में भवन निर्माण एवं अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण हेतु रुपये 10.75 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

तकनीकी शिक्षा निदेशालय तथा उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा एवं संयुक्त परीक्षा परिषद् की स्थापना हेतु लगभग रुपये 1.60 करोड़ की धनराशि का प्राविधान है।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्राविधिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित नयी योजना हेतु रु0 50 लाख का प्राविधान किया गया है।

औद्योगिक विकासः

राज्य में औद्योगिक विकास में बाधक कच्चे माल एवं बाजार की सीमितताओं आदि के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर राज्यों की भाँति उत्तरांचल में उद्योगों के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रयास केन्द्र सरकार के साथ किये जा रहे हैं। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि इस विषय में माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए उत्तरांचल व अन्य विशेष श्रेणी राज्यों के लिए औद्योगिक विकास हेतु सुविधाओं का पैकेज उपलब्ध कराने की घोषणा अपने नैनीताल प्रवास में की गयी थी, और हमें आशा है कि निकट भविष्य में इस पैकेज को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। इस बीच औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए वित्त पोषण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से एक बहुउद्देशीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना का

निर्णय लिया जा चुका है तथा इसके पंजीकरण आदि की कार्यवाही गतिमान है। आशा है कि अगले माह के अन्त तक निगम की स्थापना हो जायेगी। विशेष पैकेज की घोषणा के पश्चात बदली हुई परिस्थितियों के दृष्टिगत औद्योगिक नीति का पुनःपरीक्षण कर इसमें आवश्यक संशोधन किये जायेंगे। राज्य में कतिपय स्थानों पर विशेष आर्थिक जोन तथा कमौडिटी पार्क्स की स्थापना के सम्बन्ध में भी परीक्षण एवं विचार किया जा रहा है।

राज्य के बुनकरों, कुम्हारों, छीपियों व अन्य कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य में हथकरघा, हस्तशिल्प एवं कुटीर, खादी एवं ग्राम उद्योग को बढ़ावा दिया जायेगा तथा इसका पर्यटन सुविनियर उद्योग से भी समन्वय स्थापित किया जायेगा। इस उद्देश्य से सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट तैयार कराने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राज्य में दिल्ली हाट की तर्ज पर अरबन हाट तथा क्राफ्ट डिजाइन केन्द्र की स्थापना किया जाना भी प्रस्तावित है।

राज्य में हथकरघा, खादी एवं ग्राम उद्योग के विकास हेतु हथकरघा के क्षेत्र में भारत सरकार की

महत्वाकांक्षी योजना 'दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना ' के अधीन बुनकर समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। भारत सरकार की बुनकरों के कल्याण के लिए अन्य योजनाओं जैसे – हैल्थ पैकेज, थ्रिफ्ट फण्ड व बुनकर सामूहिक बीमा योजना से भी बुनकरों को लाभान्वित कराया जायेगा। औद्योगिक इकाईयों की गुणवत्ता सुधार एवं पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन हेतु सहायता, निर्यात प्रोत्साहन हेतु निर्यात सब्सिडी योजना, प्रदूषण नियंत्रण साधनों के उपयोग हेतु प्रोत्साहन योजना, हीरा तरासने एवं जेम ज्वेलरी उद्योग का प्रचार–प्रसार, गारमेंट उद्योग विकास योजना, माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स एवं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट विकास योजना एवं रूग्ण कताई मिलों की पुनर्स्थापना, अरबन हाटों की स्थापना हेतु नई मांगों के माध्यम से आवश्यक बजट की व्यवस्था की गई है।

औद्योगिक इकाईयों की कठिनाईयों एवं औद्योगिक विकास हेतु वांछित सुविधाओं आदि की लगातार समीक्षा कर निर्णय लेने हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर उद्योग मित्र को क्रियाशील किया गया है ।

उत्तरांचल में खनन विकास की पर्याप्त सम्भावनायें बनी हुई हैं। इस हेतु हम खनन से सम्बन्धित अधिष्ठान का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। खदान, चुगान से सम्बन्धित नीति का विस्तृत पुनःपरीक्षण कर तथा इसमें आवश्यक संशोधन करते हुए पुनरीक्षित नीति यथा शीघ्र घोषित की जायेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में खदान, चुगान योग्य नदियों में अनाधिकृत खदान, चुगान की शिकायतों को दूर करने के लिए जनपदवार ऐसे क्षेत्रों की सूचना संकलित की गई है तथा ह्रास एवं अवैध खनन की सम्भावनाओं को कम करने के उद्देश्य से व्यापक सर्वेक्षण भी कराया जा रहा है । स्थानीय जनता के हक हकूकों का पूरा ध्यान रखा जायेगा, तथा प्रवर्तन कार्य में चुस्ती एवं सख्ती सुनिश्चित की जायेगी।

विभिन्न औद्योगिक विकास एवं खनन से सम्बन्धित कार्यों हेतु इस वर्ष रू0 83 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

पर्यटनः

उत्तरांचल के विकास तथा राज्य में रोजगार तथा आय के साधन सृजित करने के सन्दर्भ में पर्यटन की विशेष भूमिका को देखते हुए पर्यटन नीति को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय जनता तथा बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का हमारा एक मुख्य ध्येय है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको जानकर खुशी होगी कि दिनांक 1 जून 2002 को ''वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना'' आरम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत बड़ी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों को फास्ट फूड सेण्टर, प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्रों, बसों–टैक्सियों, साहसिक क्रिया–कलापों के उपकरणों की व्यवस्था, पी0सी0ओ0 सुविधा युक्त सूचना केन्द्रों, रेस्टोरेंट्स, टेन्टेड आवासीय सुविधाओं, गैराजों तथा छोटी–छोटी मोटेलनुमा इकाईयों, एवं काटेजेज् आदि की स्थापना एवं संचालन के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे, और पर्यटन अवस्थापना सुविधाएँ भी सुदृढ़ होंगी।

चार धाम यात्रा में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु एक विस्तृत मास्टर प्लान एवं योजना की तैयारी का कार्य लगभग पूर्ति पर है। केन्द्र सरकार ने भी राष्ट्रीय पर्यटन नीति के क्रम में इस हेतु सहायता उपलब्ध कराने की सहमति दी है।

विभिन्न पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं के सम्बन्ध में मास्टर प्लान एप्रोच के आधार पर कार्यवाही की जा रही है, तथा ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण योजनाओं, यथा द्‌यारा बुग्याल में नवीन स्की रिसोर्ट का विकास, राज्य में ट्रैकिंग मार्गों का विकास, टिहरी बाँध क्षेत्र का पर्यटन स्थल के रूप में विकास, जनपद पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर का विकास, रामनगर के निकट वृहद पर्यटन काम्पलेक्स का विकास आदि, के लिए मास्टर प्लान एवं परियोजनाएँ तैयार कराई जा रही हैं, और आगे आने वाले माहों में इनका क्रियान्वयन प्रस्तावित है। इसी क्रम में वैकल्पिक गन्तव्यों के विकास, प्रदेश में स्थित हवाई पट्‌टियों को क्रियाशील कर उनके आस–पास के क्षेत्र के विकास, व अन्य महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के विकास की दिशा में

कार्यवाही की जायेगी। पर्यटन के दृष्टिकोण से वन विभाग के तथा अन्य विश्राम गृहों को सज्जित करने का प्रयास किया जायेगा। देहरादून स्थित जौली ग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से समन्वय कर समयबद्ध आधार पर पूरा कराये जाने का प्रयास है। रेल सेवाओं के विस्तार के लिए भी रेल मंत्रालय के साथ प्रयास किये जा रहे हैं।

विभिन्न पर्यटन गतिविधियों में राज्य सरकार के बजट के अतिरिक्त निजी पूँजी निवेश तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं से भी अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मुझे बताते हुए हर्ष है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान इको–टूरिज्म वर्ष में उत्तरांचल को एक इको–टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया है। पर्यटन के समेकित विकास, सभी सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने, विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ उठाने तथा संस्थागत वित्त पोषण एवं निजी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन विकास परिषद् की स्थापना की जा चुकी है और बहुत शीघ्र यह क्रियाशील हो जायेगा।

इस वित्तीय वर्ष में साहसिक पर्यटन के विकास के लिए रू0 25 लाख, बीजापुर कैनाल के विकास के लिए रू0 20 लाख, कैम्प एवं शिल्प ग्रामों, लौग हट्स व कैम्प स्थलों के विकास एवं संचालन के लिए रू0 50 लाख, माल देवता मन्दिर झील का विकास एवं सौन्दर्यीकरण के लिए रू0 20 लाख की व्यवस्था नई मांगों से है। प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थाओं के लिए रू0 2.02 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था नई मांग से की गई है। पर्यटन के विकास के लिए कुल रू0 43.48 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

संस्कृतिः

उत्तरांचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उत्कृष्ट लोक संगीत और नृत्यकला की धरोहर एवं बहुभाषिक साहित्यिक थाती के संरक्षण, उत्थान और उन्नयन के उद्देश्य से उत्तरांचल साहित्यिक कला परिषद् की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके प्रारम्भिक व्यय के लिए नई मांग से व्यवस्था की गयी है।

- लोक कला संस्थान अल्मोड़ा, भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय अल्मोड़ा एवं देहरादून के सुदृढ़ीकरण के लिए भी नई मांग से व्यवस्था की गयी है। सांस्कृतिक परिसर, कला केन्द्र, विद्यालय, आडिटोरियम आदि के लिए रु0 2 करोड़ की व्यवस्था है।

खेलकूद एवं युवा कल्याणः

इस क्षेत्र में और अधिक रुचि उत्पन्न करने के लिए रुद्रप्रयाग में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के विकास के लिए रु0 50 लाख, प्रशिक्षण शिविरों के संचालन के लिए रु0 13 लाख, उपकरणों के क्रय के लिए रु0 13 लाख, युवा छात्रावासों के विकास के लिए रु0 50 लाख, ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम एवं व्यायामशालाओं के निर्माण के लिए रु0 4.37 लाख तथा प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण के कार्यक्रमों के संचालन के लिए रु0 81.20 लाख की व्यवस्था नई मांग से की गयी है। नेहरु पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में एक कृत्रिम रोहण दीवार के निर्माण के लिए रु0 55 लाख की व्यवस्था है ताकि इस संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधायें

उपलब्ध कराई जा सकें। केन्द्र सरकार के सहयोग से देहरादून में एक उच्चस्तरीय राज्य स्पोर्ट्स काम्पलेक्स योजना का क्रियान्वयन इस वर्ष प्रारम्भ किया जायेगा।

आवास एवं नगर विकासः

छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों के समेकित विकास के लिए स्थानीय निकायों, निगमों, नगर विकास प्राधिकरणों में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वतः रोजगार योजना, स्वतः रोजगार प्रशिक्षण, नगरीय मजदूरी योजना, थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट योजना, डवाकुवाँ समाजिक सुरक्षा, कम्प्यूटर प्रशिक्षण की योजना राज्य के शहरी क्षेत्रों में संचालित है जिसके लिए रू0 1.37 करोड़ की व्यवस्था है। राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत रू0 1.82 करोड़ का प्राविधान है। हड्को के सहयोग से बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है जिसके लिए रू0 9.18 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

कम लागत के व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए राज्य के कुल 39 नगरों की कार्य योजना भारत

सरकार को प्रेषित की गई थी जिसमें भारत सरकार द्वारा लगभग रू०11.46 करोड़ की योजनाएँ स्वीकृत कर दी गई हैं। भारत सरकार के सहयोग से नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण (आई.एस.यू.वाई) के अन्तर्गत रू0 3.80 करोड़ की व्यवस्था है।

छोटे एवं मध्यम श्रेणी के शहरों के समेकित विकास योजना के अन्तर्गत वर्तमान में देहरादून, हल्द्वानी–काठगोदाम तथा पिथौरागढ़ जिलों में योजना चलाई जा रही है जिसे समस्त 13 जिलों में चलाया जाना प्रस्तावित है।

नैनीताल क्षेत्र की झीलों के सुधार एवं संरक्षण के लिए केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत रू0 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में नैनीताल में मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के क्रम में प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं।

हरिद्वार में कुम्भ मेले हेतु अवस्थापना सुविधा के विकास के लिए रू0 20 करोड़ की व्यवस्था है ।

प्रदेश में विकास प्राधिकरणों के माध्यम से देहरादून एवं हरिद्वार में ट्रान्सपोर्ट नगर तथा देहरादून में

अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल एवं घण्टाघर के निकट मल्टीलेबिल पार्किंग के निर्माण की योजनायें तैयार कर हड्को को प्रेषित की गई हैं, जिसमें से ट्रान्सपोर्ट नगर देहरादून व हरिद्वार के प्रस्तावों पर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और शेष पर स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रगति पर है। राज्य में राज्य नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए रू0 50 लाख की व्यवस्था कीं गई है। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप नजूल नीति का निर्धारण करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

कृषिः

उत्तरांचल प्रदेश का अधिकांश भाग पर्वतीय है तथा हमारी कठिन भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं, फिर भी कृषि कर्म व बागवानी प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का मूल आधार है। इन क्षेत्रों में उत्पादन, उत्पादकता तथा कृषि विविधता को प्रोत्साहन देते हुए किसानों के लिए अतिरिक्त आय स्रोत सृजित करना हमारी नीति का मुख्य अंग होगा। खाद्यान के क्षेत्र में जहाँ प्रदेश अपनी आवश्यकता से

अधिक उत्पादन कर रहा है वही दलहन एवम् तिलहन की अतिरिक्त मांग है। अतः दसवी पंचवर्षीय योजना में दलहन एवम् तिलहन के क्षेत्र बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई है।

केन्द्र पोषित दलहन विकास कार्यक्रम जो मात्र पांच जनपदों में चलाया जा रहा था, को वर्ष 2002–03 से सभी जनपदों में चलाने हेतु रू0 41.95 लाख की व्यवस्था की गई है।

सोयाबीन एवं मूंगफली के साथ–साथ अन्य तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल तथा उत्पादकता बढ़ाने की योजना के लिए रू0 95.52 लाख की व्यवस्था की गई है।

केन्द्र पोषित तीव्रगामी मक्का विकास कार्यक्रम का विस्तार पूरे प्रदेश में प्रस्तावित है।

उर्वरकों एवं कृषि रक्षा रसायनों का परीक्षण कर निम्न गुणवत्ता वाले रसायनों एवं उर्वरकों के प्रयोग को बाधित करने के उद्देश्य से कृषि सम्बन्धी विविध प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु नई मांग के माध्यम से रू0 1.53 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

विश्व बैंक पोषित कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत कार्य योजनायें अनुबन्धित स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं, कार्यदायी विभागों के तकनीकी अधिकारियों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही हैं जिसके अन्तर्गत मुख्यतः कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, रेशम, ग्रामीण सम्पर्क मार्ग तथा ग्रामीण बाजार के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। प्रमाणित बीज उद्योग उत्तरांचल का एक महत्वपूर्ण कृषि व्यवसाय है । राज्य के अस्तित्व में आने के बाद स्थापित उत्तरांचल राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा खरीफ 2001 से प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न किया जा रहा है। संस्था पूर्ण रूपेण आत्म निर्भर है तथा एक साल से कम की अवधि में ही संस्था द्वारा लगभग एक करोड़ का संचित (रिजर्व फण्ड) बना लिया गया है। इस वर्ष संस्था द्वारा वन बीजों, बीज– गन्ने, जैविक बीज उत्पादन, बासमती चावल एवं विशेषतया पहाड़ी क्षेत्रों में शीतोष्ण सब्जियों के बीजों के प्रमाणीकरण और उनके प्रमाणित बीजों को प्रोत्साहित करने की महत्वाकांक्षी

योजना तैयार कर यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

कृषकों की फसल को हानि से बचाने के लिए राज्य में फसल बीमा योजना को लागू किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु कार्पस फण्ड तथा योजना के अन्य खर्चे वहन करने के लिए रू0 3 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

उद्यानः

औद्यानिकी क्षेत्र राज्य के विकास में एक प्रमुख कड़ी के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अन्तर्गत सब्जी, फल, मसाला, आलू और मशरूम आदि फसलों के अधीन उत्पादन, क्षेत्र में विस्तार, गुणवत्ता एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि तथा इनके विपणन एवं प्रसंस्करण के लिए समेकित रणनीति एवं कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।

सेब उत्पादन के क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण, पुराने बागानों का जीर्णोद्धार, तथा उच्च गुणवत्ता के नये किस्म की रोपण सामग्री प्राप्त किये जाने के भी प्रयास किये

जायेंगे। बेमौसमी सब्जियों के विकास के लिए पालीहाउस आधारित विस्तृत योजना बनायी जा रही है। इसके अतिरिक्त शहतूत की खेती तथा रेशम विकास हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में चाय के विकास के उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं और इसका व्यापक स्तर पर विस्तार करने की योजना प्रस्तावित है । इस वर्ष नई मांगों से निम्न योजनाओं हेतु आवश्यक बजट व्यवस्था की गई हैः

- जैतून, अखरोट, बादाम, खुमानी एवं नींबू प्रजाति का विकास
- उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन व पौधशालाओं का सुधार
- फल व सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना
- चयनित विकास खण्डों में महिलाओं को औद्यानिक प्रशिक्षण
- मौन पालन योजना
- बायो–टेक्नोलोजी का विकास

- रेशम विकास की बायोबोलटाईन विकास योजना
- बाज वृक्ष आधारित टसर विकास योजना
- रेशम चाकी भवनों का निर्माण व रिनोवेशन
- समितियों के माध्यम से जैविक रेशम विकास योजना

फलों, सब्जियों एवं अन्य औद्यानिकी उत्पादों के विपणन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के प्रयासों के क्रम में केन्द्र सरकार की कृषि उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन संस्था, ''एपिडा'' एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सहयोग से लीची एक्सपोर्ट जोन इस वर्ष क्रियाशील हो जायेगा, तथा फूलों की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु फ्लोरीकल्चर पार्क की स्थापना करने का निर्णय भी लिया जा चुका है, जिस पर इस वर्ष कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा लगभग रू0 21 करोड़ की अन्य परियोजनाएँ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई हैं।

राज्य में जड़ी बूटियों का संरक्षण, संवर्धन कृषिकरण, विपणन, प्रसंस्करण एवं शोध कार्यों हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। औषधीय एवं सुगंध पौधों के उत्पादन को गति देने हेतु उत्तरांचल औषधीय एवं सुगंधित पादप बोर्ड तथा जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान को क्रियाशील किया गया है एवं आगामी 5 वर्षों के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अन्तर्गत जड़ी बूटी के कृषिकरण, संरक्षण, हर्बल गार्डेन की स्थापना, काश्तकारों को रोपण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु नर्सरियों का विकास व टर्मिनल मार्केट्स की स्थापना की योजना है। इसी क्रम में जड़ी बूटी विकास वन नीति का भी एक महत्वपूर्ण अंग होगा। संस्थान द्वारा केन्द्रीय पादप बोर्ड को भी लगभग रू0 1 करोड़ की योजनाएँ प्रेषित की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2002–2003 में उद्यान मद में समग्र कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु रू0 48.43 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

कृषि कार्यों एवं अनुसंधान पर कुल लगभग रू0 245.93 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

पशुपालन एवं दुग्ध विकासः

कृषि के साथ–साथ पशुपालन व्यवसाय उत्तरांचल के लोगों की आजीविका का एक मुख्य परम्परागत साधन रहा है। उत्तरांचल राज्य के लगभग 48 लाख पशुओं एवं 8 लाख कुक्कुट पक्षियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, विभिन्न रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं नस्ल सुधार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में नई मांग के माध्यम से पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों पर नियंत्रण हेतु वैक्सीन की व्यवस्था तथा पशुओं में अन्तः कृमियों के नियंत्रण हेतु सामूहिक रूप से दवापान योजना के लिए लगभग रू0 1.05 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

राज्य में डेयरी विकास कार्य त्रिस्तरीय सहकारी ढाँचे पर आनन्द पद्धति के अनुसार संचालित किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर सहकारी समितियाँ, जनपद स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ तथा राज्य स्तर पर उत्तरांचल सहकारी डेयरी फेडरेशन कार्य कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत दुग्ध समितियों के सुदृढ़ीकरण तथा पुरानी एवं बन्द समितियों के पुनर्गठन हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला योजना के माध्यम से व्यवस्था की गयी है। राज्य सेक्टर की योजनाओं में डेयरी विकास योजना, महिला डेयरी विकास एवं सघन मिनी डेयरी परियोजनाओं के लिए रू0 5.68 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकों, विशेषकर महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास करना है।

पशुपालन एवं दुग्ध विकास हेतु वर्ष 2002–2003 में लगभग रू0 38.26 करोड़ का प्राविधान है।

मत्स्य पालनः

उत्तरांचल में मत्स्य विकास हेतु प्रचुर मात्रा में विविध आकार एवं प्रकार की जल सम्पदा उपलब्ध है। इसका नियोजित दोहन अभी तक नहीं हो सका है। अतः, हम मत्स्य पालन के लिए एक बहुउद्देशीय नीति बना रहे हैं जिसे बहुत जल्द अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। मत्स्य

उत्पादन के स्तर में वृद्धि एवं तालाब निर्माण व सुधार के निमित्त मत्स्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शीत जल में ट्राउट, महासीर, कामनकार्प तथा भारतीय मेजरकार्प जैसी उन्नत प्रजाति के मत्स्य बीज उत्पादन हेतु जनपद टिहरी, हरिद्वार एवं देहरादून में हैचरी निर्माण एवं जनपद ऊधम सिंह नगर में स्थित हैचरीज, प्रक्षेत्रों का आधुनिकीकरण प्रस्तावित है। देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से मत्स्य आखेट से सम्बन्धित सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु "गेमफिसरीज का विकास" योजना भी चलाई जा रही है।

इस वर्ष मत्स्य विभाग हेतु लगभग रू0 3.50 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

सहकारिताः

सहकारी संस्थाओं की कृषि उत्पादन कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका है। राज्य सृजन के क्रम में शीर्ष राज्य स्तरीय बैंक का निबंधन किया जा चुका है किन्तु बैंक तथा अन्य राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं के दोनों राज्यों

के मध्य विभाजन का कार्य अभी पूरा नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहकारी समितियों के उत्थान हेतु एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जो इस समय हरिद्वार में चल रही है, का आगामी वर्षों में समस्त जनपदों में विस्तार का प्रस्ताव है। जनपद चमोली की योजना स्वीकृत हो गयी है तथा जनपद पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी के प्रस्ताव प्रेषित कर दिये गये हैं।

सहकारी ऋण समितियों में अंशपूँजी विनियोजन हेतु रू0 2 करोड़, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित योजनाओं के अन्तर्गत निवेश व ऋण के लिए रू0 2.30 करोड़ तथा एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के लिए रू0 2.10 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

पंचायती राजः

संविधान के 73वें संशोधन के बाद पंचायतों की महत्ता काफी बढ़ गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायतों की मुख्य भूमिका है। पंचायत भवनों के निर्माण

हेतु नई मांगों से रू0 2.01 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

पंचायत विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों यथा ग्राम सभाओं में खड़ंजा, नाली निर्माण, शौचालय आदि हेतु वर्ष 2002–2003 में लगभग रू0 5.25 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योगः

प्रदेश में 7.84 लाख हैक्टेयर शुद्ध कृषि अन्तर्गत क्षेत्रफल के सापेक्ष 1.71 लाख हैक्टेयर क्षेत्र गन्ने के अधीन है, जिसके आधार पर 10 चीनी मिलें कार्यरत हैं। स्पष्टतया राज्य के आर्थिक परिवेश में यह एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। हम अभी भी राज्य में स्थित चीनी मिलों की गन्ना आपूर्ति के लिए कुछ हद तक उत्तर प्रदेश पर निर्भर हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शोध एवं प्रसार के माध्यम से गन्ने के उत्पादन एवं उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि, उचित प्रजातियों का विकास, गन्ना प्रबंधन व्यवस्था का युक्तीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, मिलों की उत्पादकता में वृद्धि तथा समय के अन्दर गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित

करना हमारी प्राथमिकताएँ होंगी। इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए गन्ना नियंत्रक समिति, जो गत वर्ष गठित की गई थी, को क्रियाशील किया गया है। मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि गत वर्ष 31 मई तक किये गये भुगतान रू0 310.34 करोड़ के सापेक्ष इस वर्ष रू0 356.83 करोड़ का भुगतान गन्ना मूल्य के रूप में किया जा चुका है। हमारा प्रयास है कि अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान भी समयबद्ध आधार पर सुनिश्चित किया जा सके।

वन एवं पर्यावरणः

वन बाहुल्य राज्य उत्तरांचल, भौगोलिक एवं पारिस्थितिक भिन्नताओं के कारण जैव विविधता तथा बहुमूल्य वन सम्पदाओं का नैसर्गिक धरोहर बना हुआ है। वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक में वन विभाग के लिये लगभग रू0 208.35 करोड़ की व्यवस्था है।

राज्य की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वन प्रबन्धन में स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु लोक केन्द्रित संस्थाओं जैसे वन पंचायत,

संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों आदि के अन्तर्गत 20 प्रतिशत वनों को लाने का प्रयास किया जा रहा है।

जिम कार्बेट एवं राजाजी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के संरक्षण एवं रख–रखाव एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है। इस उद्देश्य से विद्युत् बाड़, गूजर पुनर्वास, हाथियों के परम्परागत आवागमन क्षेत्र, पथ बनाये रखने की कार्यवाही व अन्य कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से चलाया जायेगा।

नैसर्गिक सम्पदा के वैज्ञानिक विधि से सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु अनुसंधान तथा प्रबन्धकीय योजना हेतु इस वर्ष रू0 1.62 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु सुरक्षा बाड़, वृक्षा रोपण आदि हेतु रू0 2.98 करोड़ की व्यवस्था नई मांगों से की गई है।

कुछ चुनी हुई प्रजातियों जैसे औषधीय पौधों, बांस, रिंगाल, आदि के रोपण व विकास को ग्रामीण विकास से जोड़ने का विशेष प्रयास किया जायेगा। इस हेतु रू0 4.45 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

राज्य में पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने तथा प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से "उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" गठित किया गया है तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक दीर्घकालिक व्यवस्था बनाई जा रही है।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का कल्याणः

ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र एवम् छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर निःशुल्क छात्रावासों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि छात्र एवम् छात्रायें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित हो सकें। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु क्रमशः रू0 16.53 करोड़ तथा लगभग रू0 2.56 करोड़ का प्राविधान है। विमुक्ति जाति के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति देने हेतु भी नई मांग के माध्यम से प्राविधान है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में छात्रों को शिक्षा, आवास, भोजन, वस्त्र आदि की सुविधायें निःशुल्क

प्रदान किये जाने हेतु लगभग रू0 2.06 करोड़, तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस वर्ष अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु बागेश्वर तथा मालधन चौड़ में दो नए आई0टी0आई0 खोलने हेतु रू0 2 करोड़ का प्राविधान किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 17 छात्रावासों के रख–रखाव, फर्नीचर एवं कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था के लिए रू0 74 लाख का प्राविधान है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवक व युवतियों को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण की एक नई योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिस हेतु रुपये 65 लाख तथा मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं एवं संगठनों को प्राविधिक प्रशिक्षण संचालित करने हेतु अनुदान के लिए नई मांग से रू0 9.50 लाख का प्राविधान है। अस्वच्छ पेशे में लगे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु स्वच्छकार विमुक्ति पुनर्वास योजना के अन्तर्गत 300 स्वच्छकारों के पुनर्वासन हेतु रू0 30 लाख का प्राविधान है।

समाज कल्याणः

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान, वृद्ध एवं अशक्त लोगों के लिए आवास गृह की व्यवस्था, भिक्षुक गृह की व्यवस्था, लावारिस शवों के दाह–दफन संस्कार, कश्मीरी विस्थापितों को सहायता एवं मद्य निषेध कार्यक्रमों हेतु इस वित्तीय वर्ष में लगभग रू0 15.00 करोड़ का प्राविधान है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संचालन हेतु रू0 6.08 करोड़ का प्राविधान किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्बल वर्ग यथा–रिक्शा चालक, मोची आदि को "जनश्री" बीमा योजना के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान करना प्रस्तावित है।

नवसृजित जनपदों चम्पावत, बागेश्वर व रूद्रप्रयाग में जिला समाज कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना हेतु नई मांग से रू0 33.76 लाख का प्राविधान है।

समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को सहमति हेतु भेजा गया है। इसमें

अनुमानित व्यय के 50 प्रतिशत राज्यांश हेतु रू0 27.98 लाख प्राविधानित हैं।

विकलांग छात्रों को लाभान्वित करने हेतु छात्रवृत्ति के लिए रू0 5.34 लाख की धनराशि का प्राविधान है। समाज के विकलांग एवं अक्षम व्यक्तियों को समाज में आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत करने हेतु विकलांग भरण–पोषण अनुदान हेतु रू0 3.50 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

पिछड़ावर्ग कल्याणः

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के समान ही पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु रू0 1.22 करोड़ का प्राविधान है। पिछड़े वर्ग के युवकों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कल्याण वित्त विकास निगम द्वारा योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

अल्पसंख्यक कल्याणः

प्रदेश के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु रू0 5.05 करोड़ का प्राविधान किया गया है। अरबी, फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए रू0 25.48 लाख, मदरसों को विविध अनुदान हेतु रू0 47 लाख की व्यवस्था की गई है।

राज्य में अल्पसंख्यक आयोग बनाये जाने हेतु निर्णय लिया जा चुका है, जिसके लिए रू0 28.20 लाख का प्राविधान किया गया है। उत्तरांचल हज समिति के गठन की कार्यवाही भी की गई है तथा हाजियों की सुविधा हेतु हज हाउस के निर्माण के लिए रू0 20 लाख की व्यवस्था की गई है। उत्तरांचल वक्फ बोर्ड के गठन हेतु भारत सरकार की अनुमति प्रतीक्षित है। आशा है कि यह यथा शीघ्र प्राप्त हो जायेगी।

सैनिक कल्याणः

पूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय की स्थापना की जा चुकी है, तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

मुख्य मंत्री कारगिल सहायता कोष का दोनों राज्यों के मध्य बंटवारा हो चुका है तथा राज्य के हिस्से की धनराशि लगभग रू॰ 13.14 करोड़ प्राप्त की जा चुकी है। अन्य सैनिक कल्याण से सम्बन्धित निधियों के प्रभाजन के सम्बन्ध में सतत् प्रयास जारी हैं। वर्तमान में उत्तरांचल राज्य के 304 वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को एन्युटी एवं एकमुश्त सहायता के अन्तर्गत रू0 5 लाख की व्यवस्था की गई है।

पूर्व सैनिकों के पुत्रों की सेना तथा पुलिस बलों में भर्ती से सम्बन्धित प्रशिक्षण देने हेतु देहरादून एवं अल्मोड़ा में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ–साथ पिथौरागढ़ व लैंसडाउन में एक–एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 10.95 लाख तथा नये सैनिक विश्राम गृह स्थापित किये जाने हेतु रू0 15.00 लाख की व्यवस्था की गई है।

इस प्रकार सैनिक कल्याण के अन्तर्गत लगभग रू0 6.95 करोड़ का प्राविधान किया गया है ।

महिला कल्याण, महिला सशक्तीकरण एवं बाल कल्याणः

महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं उनको आत्म-निर्भर बनाने की दृष्टि से शासन द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। निराश्रित विधवाओं को उनके भरण–पोषण एवं बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु विधवा पेंशन के लिए लगभग रू0 7.55 करोड़ तथा 35 वर्ष से कम आयु की विधवाओं से विवाह करने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप दम्पत्ति को पुरस्कार योजना के अन्तर्गत रू0 8.12 लाख, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं एवं लड़कियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति के लिए रू0 20 लाख का प्राविधान किया गया है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कार्यशील महिलाओं को ''जनश्री'' बीमा योजना के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान करने हेतु नई मांग से रुपया 50 लाख का प्राविधान किया गया है। महिला कल्याण

विभाग के अन्तर्गत संचालित समग्र कार्यक्रमों के लिए लगभग रू0 8.85 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

समन्वित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना के अन्तर्गत गर्भवती एवं धात्री महिलायें, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों एवं 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को विभिन्न सेवायें प्रदान की जाती है। इसी के साथ बालिका समृद्धि योजना भी संचालित की जा रही है।

आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 54 परियोजनायें संचालित हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 45 नवीन परियोजनाएँ संचालित किया जाना प्रस्तावित है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को राज्य सरकार द्वारा पुष्टाहार दिया जाता है।

प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर सामान्य रोगों की दवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से रू0 600 की दर से मेडिसिन किट प्रतिवर्ष दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिवर्ष रू0 500 की दर से प्री–स्कूल एजुकेशन किट्स दिया जाना प्रस्तावित है।

आई.सी.डी.एस. के समस्त कार्मिकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण हेतु विश्व बैंक सहायतित उदिशा परियोजना संचालित है।

आई.सी.डी.एस. योजना में 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को प्री–स्कूल एजुकेशन किट्स की व्यवस्था हेतु रू0 21.22 लाख, निदेशालय की स्थापना हेतु रू0 52.00 लाख, 45 नई परियोजनाओं हेतु रू0 10.36 करोड़, आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं परियोजना कार्यालय भवन निर्माण एवं अन्य सिविल कार्यों हेतु रू0 9.11 करोड़, योजना की मॉनिटरिंग हेतु रू0 1.00 लाख की व्यवस्था नई मांगों से की गई है।

महिला सशक्तीकरण के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पोषित स्वयंसिद्धा योजना राज्य में प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत 11 विकास खण्डों में 825 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष एवं भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित

स्वःशक्ति योजना भी उत्तरांचल के 3 जनपदों टिहरी, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में प्रारम्भ की गयी है।

पत्रकार कल्याणः

आपदाग्रस्त पत्रकारों व उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पत्रकार कल्याण कोष गठित करने का निर्णय लिया गया है। प्रेस क्लबों की स्थापना के लिए भी इस वर्ष रू0 15 लाख की व्यवस्था की गई है।

ग्राम्य विकासः

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए विभिन्न रोजगार योजनाएँ भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही हैं।

स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002–2003 में रू0 7.67 करोड़ राज्यांश के रूप में प्रदेश

सरकार द्वारा वहन किया जायेगा जिसमें लगभग 20 हजार स्वरोजगारियों को आच्छादित किया जायेगा।

पूर्व में संचालित जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना को एकीकृत कर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अप्रैल, 2002 से प्रारम्भ की जा रही है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 50 प्रतिशत धनराशि का मात्राकरण होगा, जिसमें कुल प्राविधानित बजट का 20 प्रतिशत जिला पंचायतों को तथा 30 प्रतिशत क्षेत्र पंचायतों को मात्राकृत किया जायेगा। द्वितीय चरण में शेष 50 प्रतिशत धनराशि गाँव पंचायतों को दी जायेगी। इसमें 5 कि0ग्रा0 प्रतिदिन प्रति मजदूर खाद्यान तथा शेष मजदूरी की धनराशि नगद प्रदान की जायेगी। 22.5 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति व जनजातियों के व्यक्तिगत लाभार्थियों की योजनाओं हेतु मात्राकृत की जायेगी। वर्ष 2002–2003 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 19.39 करोड़ की व्यवस्था राज्यांश के रूप में की गई है।

इन्दिरा आवास योजना हेतु वर्ष 2002–2003 में 22000 आवास विहीन परिवारों को नव निर्माण तथा

उच्चीकरण हेतु रू0 7.87 करोड़ की व्यवस्था राज्यांश के रूप में की गई है।

विधायक निधिः

वित्तीय वर्ष 2002–2003 हेतु विधायक निधि के अन्तर्गत रू0 35.00 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजनाः

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत रू0 70 करोड़ की व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषाहार, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।

श्रम एवं रोजगारः

प्रदेश में मधुर औद्योगिक सम्बन्धों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि तथा समझौतों की प्रक्रिया से औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के साथ–साथ विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में

नई मांग के माध्यम से बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण एवं पुनर्वास हेतु रू0 5 लाख, तथा श्रमायुक्त के अधीन न्यायालयों की स्थापना आदि के लिए रू0 2.16 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के लिए रू0 1 करोड़, प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए रू0 50 लाख, प्रदेश के दो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आदर्श विकास के लिए रू0 50 लाख तथा शिशिक्षु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए रू0 30 लाख की व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त विश्व बैंक की सहायता से चलाये जाने हेतु 8 योजनायें भारत सरकार को प्रेषित की गई हैं तथा केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उच्चीकरण का प्रस्ताव भी भेजा गया है।

अधिकाधिक रोजगार एवं आमदनी के स्रोतों के सृजन के लिए एक समेकित रोजगार नीति के तहत वेतन भोगी तथा स्वरोजगार के अवसरों के सृजन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं को एक अभियान के रुप में

चलाया जाना, नये उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना, बंद पड़े अथवा बंदी के कगार पर स्थित उद्योगों का पुनर्जीवीकरण, तथा पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न सुविधाओं का विकास कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना हमारी रणनीति होगी।

सामान्य प्रशासनिक सेवायें:

आयोजनेत्तर पक्ष में अनुत्पादक तथा अनावश्यक मदों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया है। नई मांगों के माध्यम से आयोजनेत्तर पक्ष में केवल रूपये 15.54 करोड़ की व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत विभिन्न नवसृजित आयोगों, सेवा प्राधिकरणों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदों का सृजन व अधिष्ठान व्यय, मंत्रिपरिषद् व उच्चस्तरीय अधिकारियों के लिए अति आवश्यक प्रकरणों में वाहनों का क्रय, तथा दूरस्थ क्षेत्र के कोषागारों में कैश–वैन, तथा सुरक्षा व्यवस्था आदि के प्रस्तावों को सम्मिलित किया गया है।

पुलिस एवं जेलः

राज्य में विधि एवं व्यवस्था स्थापित करने एवं सुरक्षा का वातावरण बनाये रखने के लिए सरकार एक समाज के मित्र एवं सेवा उन्मुख पुलिस बल की स्थापना के लिए कृतसंकल्प है। पुलिस विभाग के विभिन्न व्ययों के लिए वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक में रु0 204.00 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

भारत सरकार की सहायता से पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत रु0 11.50 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। भारत–नेपाल सीमा की संवेदनशीलता के दृष्टिगत 22 स्थानों पर पुलिस चौकियों की स्थापना के लिए रु0 2 करोड़, राज्य के गठन के फलस्वरुप विधान सभा, राजभवन इत्यादि की सुरक्षा व्यवस्था के लिए रु0 1.29 करोड़ तथा फायर स्टेशनों की स्थापना के लिए रु0 40 लाख की व्यवस्था नई मांगों से है।

कारागार प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिकीकृत करने का निर्णय लिया गया है जिसमें 50 प्रतिशत सहायता भारत सरकार से प्राप्त होगी। कारागार

प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत इस वर्ष रू0 70 लाख का प्राविधान है।

होमगार्ड्स :

होमगार्ड्स संगठन हमारे शान्ति व्यवस्था तन्त्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के दैनिक भत्तों में 10 रूपया प्रतिदिन की वृद्धि की गयी है। होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के कल्याणार्थ एक कोष की स्थापना तथा किसी आकस्मिकता की स्थिति में सहायता हेतु बीमा योजना लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है।

न्याय प्रशासनः

उत्तरांचल में वादों के त्वरित निस्तारण हेतु 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना भारत सरकार की सहायता से की गयी है जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष में रू0 7.48 करोड़ की व्यवस्था है। जनपदों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य के शीघ्र निस्तारण हेतु लगभग रू0 38 लाख की व्यवस्था कार्यालय उपकरणों हेतु नई मांग से

की गई है। विभिन्न न्यायालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रू0 26.50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

राजस्व प्रशासन व आपदा प्रबंधनः

कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार से भू–लेखों के कम्प्यूटराइजेशन के लिए उपलब्ध कराई गयी धनराशि से लगभग 16 हजार राजस्व ग्रामों में से लगभग 9 हजार राजस्व ग्रामों में भू–लेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य भी पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है। नवसृजित जनपदों तथा तहसीलों में कलेक्ट्रेट भवन तथा तहसील भवनों के निर्माण के लिए आय–व्ययक में रु0 7.25 करोड़ की व्यवस्था है।

पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत राजस्व पुलिस के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत पटवारी चौकियों का निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए रू0 5.60 करोड़ की व्यवस्था है।

आपदा राहत हेतु आपदा राहत कोष में वर्ष 2002—03 में रु0 35.68 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए स्थापित आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केन्द्र द्वारा समस्त जनपदों के लिए आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण एवं मानचित्रीकरण करते हुए संभावित आपदा से प्रभावित होने वाले तत्वों को सूचीबद्ध, आपदा तैयारी एवं न्यूनीकरण की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना भी प्रस्तावित है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्तिः

खाद्य विभाग द्वारा गेहूँ क्रय के निर्धारित लक्ष्य 1.68 लाख मैट्रिक टन से अधिक खरीद की गई है, चावल की लेवी योजना के अन्तर्गत 2 लाख मैट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध 2.12 लाख मैट्रिक टन चावल क्रय किया गया है। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 39 हजार मैट्रिक टन धान का क्रय किया गया है।

नागरिक आपूर्ति के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना तथा अन्नपूर्णा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है

एवं खाद्यान्न, मिट्टी का तेल आदि की व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है।

प्रथम राज्य वित्त आयोगः

मान्यवर,

नगरीय स्थानीय निकायों एवं ग्रामीण पंचायतों के सम्बन्ध में संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2001 से 5 वर्ष की अवधि के लिए संस्तुति करने हेतु प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग ग्रामीण और नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में तथा राज्य सरकार की संचित निधि में से इन निकायों को सहायता अनुदान के रुप में संदेय राशियों को शामिल करने वाले सिद्धान्तों आदि के बारे में अपनी संस्तुतियाँ देगा। वर्ष 2002–03 के आय–व्ययक में पंचायतों व स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु रु0 110.00 करोड़ की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं

को ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में रू0 35.15 करोड़ की सहायता का भी प्राविधान है।

आर्थिक परिवेश एवं वित्तीय प्रबंधनः

उत्तरांचल राज्य के गठन के समय से ही प्रदेश गंभीर वित्तीय स्थिति का सामना कर रहा है, जो हमें पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य से विभाजन के बाद प्रारंभिक विरासत के रुप में प्राप्त हुई है। केन्द्र सरकार द्वारा 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कतिपय राज्यों को राजस्व घाटा प्रतिपूर्ति अनुदान दिया गया था किन्तु आयोग की संस्तुतियाँ राज्य के गठन के पूर्व प्राप्त होने के कारण हम इससे वंचित रहे। उत्तरांचल को भी तद्नुसार अनुदान दिये जाने के लिए हमारी सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिये जाने के फलस्वरुप भविष्य में राज्य के ऋण दायित्वों में अवश्य कमी आयेगी, परन्तु तात्कालिक रुप से सरकार के समक्ष वचनबद्ध दायित्वों को निभाने के लिए संसाधन जुटाने की विषम चुनौती बनी हुई है। फिर भी हमारा यह प्रयास होगा कि हम आप सबके सहयोग से तथा समुचित

वित्तीय प्रबन्धन, सुविचारित रणनीति और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से राज्य में चहुँमुखी विकास सुनिश्चित कर सकें।

राजकोषीय सेवाएँः

राज्य के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत व्यापार कर है। व्यापार कर की दरों पर विचार करने हेतु तथा अगले वित्तीय वर्ष से पूरे देश में वैट प्रणाली लागू करने हेतु राज्यों के वित्त मंत्रियों की इम्पावर्ड कमेटी केन्द्र सरकार द्वारा गठित की गई है। इम्पावर्ड कमेटी के निर्णयों को लागू करते हुए राज्य में व्यापार कर के समान फ्लोर रेट लागू किये गये हैं। साथ ही विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण युक्तिकरण के प्रयास किये जायेंगे, ताकि राज्य में औद्योगीकरण एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा मिल सके। इसी क्रम में ईंट निर्माताओं की सुविधा के लिये समाधान योजना लागू की गयी है। कतिपय अन्य राज्यों की भाँति पाइप लाईन में स्थित विस्तारीकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण एवं वैकवर्ड इन्टीग्रेशन करने वाली इकाईयों को उनके

अतिरिक्त उत्पादन पर कर की दरों में छूट या कमी करने की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। राज्य के हित में हम यथा आवश्यकता अन्य आवश्यक कदमों पर विचार करेंगे। साथ–साथ राजस्व बढ़ाने तथा कर अपवंचना की रोक-थाम के लिये प्रान्त की सीमाओं पर स्थापित जाँच चौकियों को और प्रभावी बनाया जा रहा है।

इन समस्त उपायों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2001–2002 के रू0 450 करोड़ के पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष वर्ष 2002–2003 के लिये व्यापार कर से रू0 560 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।

अगले वित्तीय वर्ष में समस्त राज्यों के मतैक्य पर आधारित राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत पूरे देश में वैट प्रणाली आरम्भ की जा रही है जिसके लिए प्रदेश में आवश्यक विधियों एवं नियमों को बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

जनता की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले स्टाम्प पेपर की मौद्रिक सीमा रू0 2000 से बढ़ाकर रू0 10000 कर दी गयी है। विभाग के कार्य में पारदर्शिता एवं

सुविधा लाने, तथा कर अपवंचना की संभावना कम करने के उद्देश्य से, भूमि एवं सम्पत्ति के पंजीयन के कम्प्यूटरीकरण के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है, और यथाशीघ्र चरणबद्ध रूप से इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया जायेगा। स्टाम्प पंजीकरण शुल्क के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 के पुनरीक्षित अनुमान रू0 110.52 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2002–2003 के लिए रू0 123.20 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।

केबिल एवं टेलिविजन के विस्तार के क्रम में सिनेमा में किये गये निवेश और इसमें निहित रोजगार को सुरक्षित करने के लिए, तथा दर्शकों को छविगृहों की ओर आकृष्ट करने के उद्देश्य से, मनोरंजन कर की दरों को 100 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2002–2003 में मनोरंजन कर से रू0 5.10 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान है।

राज्य की कर व्यवस्था तथा जनता की आवश्यकताओं के संदर्भ में परिवहन व्यवस्था का विशेष महत्व है। उत्तरांचल की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, यहाँ पर विद्यमान सरकारी एवं गैर सरकारी परिवहन

व्यवस्थाओं तथा यात्रा, पर्यटन आदि को देखते हुए राज्य के लिए उपयुक्त परिवहन व्यवस्था एवं नीति के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर गहन विचार–विमर्श के पश्चात नीतिगत प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। ऐसा करते समय परिवहन से सम्बन्धित करों में भी युक्तिकरण किया जाना प्रस्तावित है।

वाहन कर तथा माल एवं यात्री कर की मद में वर्ष 2001–2002 के पुनरीक्षित अनुमान रू0 95 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2002–2003 में रू0 106.41 करोड़ की प्राप्तियों का लक्ष्य रखा गया है।

आबकारी के क्षेत्र में हमने पूर्व की भाँति लाइसेन्स फीस एवं अधिभार के आधार पर दुकानों के आबंटन की नीति को जारी रखने का निर्णय लिया है । इसी क्रम में, एकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से, जहाँ इस नीति के अन्तर्गत पूर्व अनुज्ञापियों द्वारा लाइसेन्स पुनः नहीं लिए गये वहाँ गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगम के साथ–साथ भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों को अनुज्ञापन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसी नीति के क्रियान्वयन में मदिरा

की तस्करी तथा गैर कानूनी बिक्री एवं प्रयोग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पाउच के उपयोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया गया हैं । वर्ष 2001–2002 के पुनरीक्षित अनुमान रू0 228.43 करोड़ के सापेक्ष्य 2002–2003 में रू0 255.36 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।

अल्प बचतः

अल्प बचत की विभिन्न योजनाएँ राज्य की जनता की बचतों के उत्पादक निवेश का साधन होने के अतिरिक्त विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संसाधन जुटाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं । वर्ष 2002–2003 में अल्प बचतों के माध्यम से कुल रू0 550 करोड़ की प्राप्तियों का लक्ष्य रखा गया है जिसे विशेष अभियान चलाकर प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

संस्थागत वित्तः

राज्य के विकास में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अतः इस प्रक्रिया में

उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी. एफ.–8 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना सुविधायें विकसित करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में रू0 150 करोड़ तक का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएँ दिलाने के लिए हडको के साथ विचार–विमर्श कर ऐसी योजनाओं को चिन्हित किया गया है, जिससे शहरी अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो सके, उत्तरांचल में मलिन बस्तियों का सुधार हो तथा अनुसूचित जातियों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को आवासीय सुविधा मिल सके।

यह चिन्ता का विषय है कि उत्तरांचल में बैंकों का ऋण जमा अनुपात मात्र 24.26 है जो कि राष्ट्रीय औसत के आधे से कम है। इसका अर्थ है कि राज्य में अर्जित एवं जमा पूँजी का पर्याप्त उपयोग राज्य के विकास के लिए नहीं हो रहा है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए बैंकों के साथ सम्पर्क एवं संवाद बढ़ाया गया है। इसी क्रम में पिछले दो माह में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की

दो बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं। प्रदेश में "ऋण–जमा अनुपात" बढ़ाने की सम्भावना पर विचार हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। इसी उद्देश्य से, तथा परियोजनाओं की संरचना की क्षमता बढ़ाने के लिए वित्त विभाग में एक प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जा रहा है। हमारा यह भी प्रयास होगा कि असेवित क्षेत्रों में बैंक की शाखाएँ स्थापित की जायें । इस हेतु रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है।

बैंकों की ऋण वसूली में सुधार एवं ऋण प्राप्तकर्ताओं को सुविधा के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक की एकमुश्त समझौता योजना (ओ0टी0एस0) के अन्तर्गत वसूली व्यय (कलेक्शन चार्ज) में छूट दिये जाने का निर्णय भी लिया गया है जिसके अन्तर्गत केवल एकमुश्त समझौते की धनराशि पर वसूली व्यय लिया जायेगा न कि पूरी बकाया धनराशि पर ।

वार्षिक योजना 2002–2003:

उत्तरांचल को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा गत वर्ष दिया जा चुका है। दसवें योजना काल के लिए योजना आयोग द्वारा रू0 9050 करोड़ की योजना पर सहमति दी गई है, परन्तु वर्ष 2002–03 के लिए वार्षिक योजना का आकार अभी केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा अन्तिम नहीं किया गया है। फिर भी राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुरूप वर्ष 2002–03 के आय–व्ययक में आयोजनागत पक्ष में रु0 2166.81 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जिसमें केन्द्र सहायतित तथा बाह्य सहायतित परियोजनायें सम्मिलित हैं। यह प्रयास किया गया है कि केन्द्र सहायतित तथा केन्द्र पुरोनिधानित व बाह्य सहायतित परियोजनाओं से अधिक से अधिक योजनाएं संचालित की जा सकें।

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष 2002–03 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

वर्ष 2002—03 के बजट का वित्तीय विवरणः

प्राप्तियाँ-

वर्ष 2002—2003 में रु0 4420.47 करोड़ की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में रु0 2901.17 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ तथा रु0 1519.30 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2002—2003 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश रु0 1477.01 करोड़ है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रु0 407.81 करोड़ सम्मिलित है।

व्यय-

अनन्तिम रुप से जो दायित्व प्राभाजन के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर वर्ष 2002—2003 में राज्य को ऋणों के प्रतिदान पर लगभग रु0 616.68 करोड़, ब्याज की अदायगी के रुप में लगभग रु0 561.49 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन—भत्तों आदि पर लगभग रु0 1278 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रुप में लगभग रु0

574.39 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रुप में लगभग रु0 251.80 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2002–2003 में कुल व्यय रु0 5840.01 करोड़ अनुमानित है।

कुल व्यय में रु0 4468.35 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा रु0 1371.66 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटा–

समेकित निधि में रु0 2166.81 करोड़ आयोजनागत पक्ष में तथा रु0 3673.20 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में रु0 1440.04 करोड़ आयोजनागत तथा रु0 3028.31 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार रु0 726.77 करोड़ आयोजनागत पूंजी लेखा तथा रु0 644.89 करोड़ आयोजनेत्तर पूंजी लेखा हेतु प्रस्तावित है।

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात वर्ष 2002–2003 में अनुमानित घाटा रु0 1419.54 करोड़ है।

लोक–लेखा से समायोजन–

वर्ष 2002–03 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 200 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अंतिम शेष–

वर्ष 2002–03 में आरम्भिक शेष को लेते हुए शुद्ध घाटा रु0 1280.62 करोड़ होना अनुमानित है। इस घाटे को व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

मान्यवर,

नये राज्य के सृजन के फलस्वरूप हम आज उस स्थिति में हैं कि यदि हम पूरे संकल्प और परिश्रम के साथ काम करने में जुट जायें तो निश्चय ही हम अपनी जनता को पिछड़ेपन के घेरे से बाहर निकाल सकते हैं। नये राज्य के गठन से जनता की आकांक्षायें भी बढ़ी हैं जो स्वाभाविक है और हम भी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम इन आकांक्षाओं को यथाशक्ति पूरा कर सकें।

मैं, माननीय सदस्यों से अपेक्षा और अनुरोध करना चाहूँगा कि उत्तरांचल को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के इस विकास महायज्ञ में हमें सभी वर्गों, दलों और व्यक्तियों के सहयोग से आगे बढ़ना होगा। यद्यपि हम केन्द्रीय सरकार से अधिक से अधिक धनराशि अपने संसाधनों में वृद्धि के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करते रहेंगे, परन्तु हमें यह मानकर चलना होगा कि अन्ततोगत्वा हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और प्रदेश की प्रगति के लिए हमें स्वयं ही संसाधन जुटाने होंगे। इस दिशा में, तथा राज्य के हित में, मैं शासन के अपने सहयोगियों तथा अपने दल के सम्मानित विधायकों के सहयोग के साथ–साथ विरोधी दल एवं अन्य सभी दलों के सम्मानित मित्रों से सकारात्मक योगदान का अनुरोध करता हूँ।

अन्त में, मैं, मंत्रि परिषद् के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है, उसके लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करता

हूँ। महालेखाकार, उत्तरांचल एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा इस कार्य में दी गई सहायता के लिये भी कृतज्ञ हूँ। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका। अन्त में,

" झपक रही हैं ज़मानों मकान की आँखें,
मगर है काफिला आमादा–ए सफर फिर भी"

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 2002–2003 का बजट प्रस्तुत करता हूँ ।

ज्येष्ठ 13, शक संवत् 1924

तद्नुसार

3 जून, 2002

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय फोटो लिथो प्रेस, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2002

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 5 वित्त समान्य (बजट)/185–14–5–2002–600 (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।